DD(DWJTi)

झारखण्ड सरकार

कार्यालय

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पाकुड़

पत्रांक 131/जि०यो०

प्रेषक,

उपायुक्त,

पाकुड़।

सेवा में,

निदेशक,

उद्योग,

झारखण्ड, राँची।

पाकुड़, दिनांक 6/7/15

विषय :– जिला सी०एस०आर० कमिटि की बैठक के संबंध में।

महाशय,

उद्योग विभाग, राँची के अधिसूचना संख्या–692, दिनांक–31.03.2015 के आलोक में जिला स्तरीय सी०एस०आर० कमिटि की बैठक दिनांक–04.07.2015 को अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

उक्त बैठक की कार्यवाही आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जाती है।

विश्वासभाजन

6.7.15

उपायुक्त

पाकुड़।

दिनांक–04.07.2015 को सम्पन्न (CSR) Corporate Social Responsibility से संबंधित जिला स्तरीय बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

उपायुक्त, पाकुड़ द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए बताया गया कि उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना सं0–692, दिनांक–31.03.2015 द्वारा CSR अंतर्गत जिला में कार्यरत कॉरपोरेट सेक्टर को सामाजिक दायित्व के निर्वाहन एवं निरूपण हेतु निम्न प्रकार से जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है :–

i.	उपायुक्त, पाकुड़।	–	अध्यक्ष
ii.	उप विकास आयुक्त, पाकुड़।	–	सदस्य
iii.	असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–मुख्य चिकित्सक, पाकुड़।	–	सदस्य
iv.	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पाकुड़।	–	सदस्य
v.	जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड़।	–	सदस्य
vi.	कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, पाकुड़।	–	सदस्य
vii.	जिला योजना पदाधिकारी, पाकुड़।	–	सदस्य
viii.	जिला कल्याण पदाधिकारी, पाकुड़।	–	सदस्य
ix.	चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पाकुड़ के प्रतिनिधि।	–	सदस्य
x.	कॉरपोरेटर सेक्टर के 5 प्रतिनिधि।	–	सदस्य

जिला स्तर पर उक्त (CSR) कमिटि की बैठक त्रैमासिक अथवा आवश्यकतानुसार आयोजित की जानी है। उपायुक्त, पाकुड़ द्वारा बताया गया कि आज की बैठक झारखण्ड सरकार के उक्त अधिसूचना के आलोक में की जा रही है।

उपायुक्त, पाकुड़ द्वारा बताया गया कि उक्त अधिसूचना अनुसार निम्न रूप से CSR मद में संबंधित कम्पनी से राशि प्राप्त की जानी है।

क्र०सं०	कारपोरेट सेक्टर/कम्पनी के कुल कर भुगतान के पश्चात् शुद्ध लाभ	CSR अंतर्गत देय राशि
01	02	03
01	100 करोड़ तक	3% से 5% तक
02	100 करोड़ से 500 करोड़ तक	2% से 3% तक
03	500 करोड़ से ऊपर	1% से 2% तक

उपायुक्त, पाकुड़ द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पाकुड़ के प्रतिनिधि से पूछा गया कि पाकुड़ जिला में कार्यरत वैसे कॉरपोरेट सेक्टर की कम्पनी के बारे में बताया जाए जिसका कुल कर भुगतान (Profit After Tax) के बाद शुद्ध लाभ 100.00 करोड़ या उससे ऊपर है। बैठक में उपस्थित चैम्बर ऑफ कोमार्स के संयुक्त सचिव, पाकुड़ द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में 100.00 करोड़ के शुद्ध लाभ वाले एक भी कम्पनी जिला में कार्यरत नहीं है।

उपायुक्त, पाकुड़ द्वारा बताया गया कि पैनम कोल माईन्स, अमड़ापाड़ा प्रखण्ड के पचुवाड़ा में कोल का उत्खनन करता था। लेकिन दिनांक–31.03.2015 के बाद से सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश के आलोक में उत्खनन कार्य बंद है। इसी कोल ब्लॉक में से पचुवाड़ा सेन्ट्रल एवं पचुवाड़ा नार्थ को भारत सरकार द्वारा क्रमशः पंजाब विद्युत निगम एवं पश्चिम बंगाल विद्युत निगम को आवंटित किया गया है। दोनों कम्पनियों द्वारा पट्टा के लिए आवेदन दिया गया है। सरकार के द्वारा पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है, इसलिए दोनो कम्पनियों द्वारा उत्खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। पूर्व में पाकुड़ जिलान्तर्गत Hindustan Constructions Company LTD जो सड़क निर्माण का कार्य करती थी, विगत सात–आठ माह से बंद है। इस तरह पाकुड़ जिला में कोई भी Public Sector अथवा Private Sector कार्य नहीं कर रही है।

अतः में सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई सम्पन्न की गई।

उपायुक्त,
पाकुड़।